IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मारवाड़ में मुगल संरक्षण का प्रभाव

मंजू वर्मा
सह आचार्य इतिहास
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय
सीकर –332001

सारांश :–मुगल सत्ता के संरक्षण का प्रभाव– अब राजपथ पर शासक का अधिकार कुलीय नेतृत्व तथा सामंतों की मान्यता की अपेक्षा मुगल सम्राट के प्रश्रय पर अधिक निर्भर हो गया, इससे सामंतों का अपने राज्य में महत्व कम हो गया। मूगल सता का संरक्षण प्राप्त करने के बाद जोधपुर के शासकों ने अपने जागीरदारों को अपने वंश में करने की पूरी–पूरी चेष्टा की।शासक व सामन्तों के पारस्परिक सम्बंध में इस प्रकार का अन्तर आ जाने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि दोनों में सदियों से चली आ रही, बन्धुत्व की भावना धीरे–धीरे समाप्त हो गई। अब शासक न केवल सामन्तों से वरन् राजवंश के अन्य सदस्यों से भी ऊँचा माना जाने लगा था। धीरे –धीरे यह पारस्परिक दूरी बढती गई और सामन्तों का एक अलग वर्ग पनपने लगा।

मुगल सत्ता के संरक्षण का राजपूत शासकों और उसके सामंतों के आपसी संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब राजपथ पर शासक का अधिकार कुलीय नेतृत्व तथा सामंतों की मान्यता की अपेक्षा मुगल सम्राट के प्रश्रय पर अधिक निर्भर हो गया, इससे सामंतों का अपने राज्य में महत्व कम हो गया। जोधपुर के शासकों ने भी मुगल सम्राट की भांति अपने सामंतों पर निरंकुश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप सामंतों की शक्ति को भारी धक्का लगा।[1] उदाहरणार्थ– मारवाड़ के राजा उदय सिंह ने मुगल संरक्षण स्वीकार करने के बाद अपने सामंतों की शक्ति को कुचलना शुरू कर दिया।

उसने अपने कुल के प्रभावशाली मेड़तिया सामन्तों की अधिकांश जागीरों को खालसा कर दिया, उदावतों से जेतारण छीन लिया और चांपावतों की भी बहुत सी जागीरों को खालसा कर दिया। [2] कुलीय भावना से आधारित भाई बिरादरी अब स्वामी और सेवक के सम्बंध में परिवर्तित हो गई।[3] इतना ही नहीं, अब मारवाड़ के शासकों ने अपने राज्य में अन्य कुलों के राजपूत सरदारों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनाई। उदाहरणार्थ महाराज सूरसिंह ने शासक की ढाल तलवार रखने का काम खीचियों को, चंवर और मोरछल रखने का काम धाधलों को, डेवटी का प्रबंध सोमावतों को, जलूसी पंखा और खास मोहर रखने का काम गहलोतों को और महावतों का काम आसयचों को सौपा। [4] इसी प्रकार दूसरे कार्यो के लिए भी अन्य वंशों के राजपूत नियत किये गए जबकि इसके पूर्व इन कामों के लिए भी सामान्यतः कुलीय सामतों को ही नियत किया जाता था।[5]

मुगल सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने के बाद जोधपुर के शासकों ने अपने जागीरदारों को अपने वश में करने की पूरी–पूरी चेष्टा की। मोटा राजा उदयसिंह के समय (सन 1583 से 1594 ईस्वी) में "पेशकश" या "नजराना" देने की प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र को कुछ धनराशि राजा को भेंट करके जागीर का नया पट्टा प्राप्त करना पड़ता था। यह स्पष्टतया मुगल प्रभाव था। जोधपुर के राजा स्वयं भी राज्य का अधिकार पाने के लिए बादशाह को "नजराना" दिया करते थे। अजीत सिंह के राज्यत्वकाल में इसे पेशकश या नजराना के स्थान पर "हुकमनामा" कहा जाने लगा था।[6] जोधपुर के राजा इस विषय में सजग रहने लगे कि सामंतों की शक्ति इतनी न बढ़ जाए कि वे विद्रोही हो जाए। इसी कारण जागीर देते समय उस जागीर से होने वाली आय पर भी ध्यान दिया जाने लगा और जागीरदार को पट्टा देते

समय इस आय का उल्लेख भी पट्टे में किया जाने लगा। अजीत सिंह द्वारा दिए पट्टो में न केवल संपूर्ण जागीर का ही विवरण मिलता है वरन् जागीर के अंतर्गत भिन्नःभिन्न गांवों की आय का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। (7)

शासक व सामन्तों के पारस्परिक सम्बंध में इस प्रकार का अन्तर आ जाने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि दोनों में सदियों से चली आ रही बन्धुत्व की भावना धीरे–धीरे समाप्त हो गई। अब शासक न केवल सामन्तों से वरन् राजवंश के अन्य सदस्यों से भी ऊँचा माना जाने लगा था। धीरे –धीरे यह पारस्परिक दूरी बढती गई और सामन्तों का एक अलग वर्ग पनपने लगा। जोधपुर के राजाओं ने इनकी शक्ति कम करने के लिए तथा इन्हें अपने प्रति स्वाभिभक्त बनाये रखने के लिए जागीरदारों को कई भागों में विभाजित किया। प्रथम श्रेणी में वे सामन्त आते थे। जो शासक के निकट सम्बंधी होने के कारण जागीरें प्राप्त करते थे। दूसरी श्रेणी के सामन्त वे थे जिन्हें "मुन्ड कटाई" (राजा के लिए युद्ध करना) के बदले में जागीरें दी जाती थी। जिन्हें राजा प्रसन्न होकर जागीरें दिया करता था। वे सामन्त "ईनामदार" कहलाते थे। इन तीनों के अतिरिक्त "भूमिया" नामक एक अन्य श्रेणी भी थी। इसमें वे व्यक्ति थे जिनके पूर्वजों को राजा ने किसी पद पर कार्य करने के बदले में भूमि दी थी और वह पद वंशानुगत हो गया। और साथ ही साथ दी हुई भूमि पर अधिकार भी वंशानुगत हो गया। (8)

संदर्भः–

1. डॉ. कालू राम शर्मा – वही पृ. 5
2. जोधपुर राज्य की ख्यात,खण्ड 1 पृ. 100 और कवि राजा की ख्यातः खण्ड 2 पृ. 8
3. आसोपा – मारवाड़ का मूल इतिहास पृ. 163
4. श्यामलदास – वीर विनोद, पृ. 817
5. रेउ – मारवाड़ का इतिहास खण्ड 1 पृ. 182
6. हरदयाल सिंह, मजमूऐं हालात व अन्तिजाम राज मारवाड़ पृ. 439–40 : हरदयाल सिंह तवारीख जागीरदारान राज मारवाड़, शर्मा स्टडीज 199, जसवन्तसिंह 157 (मीरा मित्र की पुस्तक से उद्धत)
7. रा.पु.बी. में अजीतसिंह द्वारा दिये गये बहुत से पट्टों की नकलें है। (मीरा मित्र की पुस्तक से उद्धत)
8. जी.एन.शर्मा, राजपूत स्टडीज 199–200 पूर्व 89, जसवन्त सिंह 156–57